<u>राज्य सभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *164

01 अगस्त, 2018 को उत्तर के लिए

सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों में निवेश नहीं करने की नीति

***164. डॉ. संजय सिंह:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों में निवेश नहीं करने की नीति अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात क्षेत्र में आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस्पात क्षेत्र में प्रस्तावित आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सहायिकियों के तत्संबंधी नीतिगत विनिवेश के बारे में सरकार का निर्णय क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इसके कारण क्या हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)**

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों में निवेश नहीं करने की नीति” के बारे में डॉ. संजय सिंह, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 01 अगस्त, 2018 के लिए पूछे गए तांराकित प्रश्न संख्या *164 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी नहीं।

(ख) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में सीमित है। इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य के संबंध में निर्णय संबंधित कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक सोच विचारों और बाजार गतिशीलताओं के आधार पर लिए जाते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की 3 यूनिटों यथा एलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी), सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) तथा विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी) के योजनाबद्ध विनिवेश के लिए ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।

*****